By Speed Post

भारत सरकार

Government of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. Tour Report/12/VC(UP)/2018/RU-I

Dated: 24/01/2019

To,

The Chief Secretary,
Govt. of Uttar Pradesh,
Secretariat,
Lucknow, (Uttar Pradesh).

Sub: Review of Constitutional Safeguards and implementation of reservation policy for Scheduled Tribes.

Sir,

I am directed to refer to the subject cited above and to say that a Review Meeting was held on 29.11.2018 at Lucknow under the Chairmanship of Dr. Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes, New Delhi. A copy of the report of the Review Meeting and recommendation of the NCST thereon is enclosed.

It is, requested that action taken/ proposed to be taken on the suggestions / recommendations of the Commission may please be sent to the NCST within one month, for further action.

Yours faithfully,

(राजेश्वर कुमार)
सहायक निदेशक
Tel: 011-24641640.

Copy for necessary action to:

1. The Principal Secretary,
   Revenue Department,
   Govt. of Uttar Pradesh,
   Bapu Bhawan, Ist Floor,
   U.P. Secretariat,
   Lucknow – 226001.
   Tel: 0522-2238020.
   Fax: 0522-2239086.
   Email: psrevenuedeptup@gmail.com

2. The Principal Secretary,
   Social Welfare Department,
   Govt. of Uttar Pradesh,
   U.P. Secretariat,
   Lucknow – 226001.
   Tel: 0522-2238083.
   Email: pr.sec.sw@dirsamajkalyan.in

Copy for information to:

1. PS to Hon'ble Chairperson, NCST
2. PS to Hon'ble Vice-Chairperson, NCST
3. NIC (for hosting on Commission's website).

By Speed Post

भारत सरकार

Government of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. Tour Report/12/VC(UP)/2018/RU-I

Dated: 24/01/2019

To,

The Chief Secretary,
Govt. of Uttar Pradesh,
Secretariat,
Lucknow, (Uttar Pradesh).

Sub: Review of Constitutional Safeguards and implementation of reservation policy for Scheduled Tribes.

Sir,

I am directed to refer to the subject cited above and to say that a Review Meeting was held on 29.11.2018 at Lucknow under the Chairmanship of Dr. Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes, New Delhi. A copy of the report of the Review Meeting and recommendation of the NCST thereon is enclosed.

It is, requested that action taken/ proposed to be taken on the suggestions / recommendations of the Commission may please be sent to the NCST within one month, for further action.

Yours faithfully,

(राजेश्वर कुमार)
सहायक निदेशक
Tel: 011-24641640.

Copy for necessary action to:

1. The Principal Secretary,
   Revenue Department,
   Govt. of Uttar Pradesh,
   Bapu Bhawan, Ist Floor,
   U.P. Secretariat,
   Lucknow – 226001.
   Tel: 0522-2238020.
   Fax: 0522-2239086.
   Email: psrevenuedeptup@gmail.com

2. The Principal Secretary,
   Social Welfare Department,
   Govt. of Uttar Pradesh,
   U.P. Secretariat,
   Lucknow – 226001.
   Tel: 0522-2238083.
   Email: pr.sec.sw@dirsamajkalyan.in

Copy for information to:

1. PS to Hon'ble Chairperson, NCST
2. PS to Hon'ble Vice-Chairperson, NCST
3. NIC (for hosting on Commission's website).

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

File No. Tour Report/12/VC(UP)/2018/RU-I

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राज्य के अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न सुरक्षणों एवं कार्यक्रमों के कामकाज की समीक्षा हेतु दिनाँक 29.11.2018 को लखनऊ में आयोजित बैठक पर संविधान के अनुच्छेद 338क (5)(e) के अंतर्गत रिपोर्ट एवं अनुशंसाएं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी) का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत किया गया है। इसे अन्य बातों के साथ साथ संविधान के अंतर्गत अथवा तत् समय लागू किसी अन्य कानून अथवा सरकार के किसी अन्य आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबंधित सुरक्षणों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण और अनुवीक्षण करना और इन सुरक्षणों के बारे में प्रतिवर्ष, और ऐसे अन्य समयों पर आयोग ठीक समझे, माननीय राष्ट्रपति महोदय को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है। इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और उनके साथ संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो उसे अस्वीकृत के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा। जहॉ कोई ऐसी रिपोर्ट या उसका कोई भाग, किसी ऐसे विषय से संबंधित है जिसका किसी राज्य सरकार से संबंध है, तो ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति उस राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी जो उसे राज्य के विधान–मण्डल के समक्ष रखवाएगा और उसके साथ राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किये जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो उसे अस्वीकृत के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

2. संवैधानिक आदेश के अनुसार, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने दिनाँक 29.11.2018 को 11:00 बजे लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राज्य के अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न सुरक्षणों एवं कार्यक्रमों के कामकाज की समीक्षा हेतु बैठक आयोजित की।

3. बैठक में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों की सूची संलग्न है।

4. समीक्षा बैठक प्रारभं होने से पूर्व, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने आयोग के गणमान्य व्यक्तियों का तथा अधिकारियों का परिचय दिया एवं बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के उपस्थित अधिकारियों से स्वयं का परिचय देने का आग्रह किया। बैठक में उपस्थित राज्य सरकार के सभी वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिकारियों ने अपना अपना परिचय दिया।

5. माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने आयोग की शक्तियों एवं दायित्वों के बारे में बताया। इसके साथ–साथ उन्होंने आयोग द्वारा मूल्याकंन हेतु तैयार की गई प्रश्नावली, जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को भेजी गयी थी के बारे में भी अवगत कराया तथा राज्य सरकार के उपस्थित अधिकारियों से निम्न बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया।

- केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति उप–योजना के तहत आबंटित राशि को अन्यत्र आन्तरित किया जाता है जो उचित नहीं है।
- गत वर्ष आयोग ने राज्य सरकार को राज्य में अनुसूचित जनजाति के कल्याण एवं विकास के लिए एक अलग विभाग खोलने का आग्रह किया था।
- उत्तर प्रदेश राज्य में 15 समुदाय अनुसूचित जनजाति के रुप में घोषित है जिनकी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 11.34 लाख है जो प्रदेश की जनसंख्या का 1.1 प्रतिशत है, के कल्याण के लिए क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे है।
- बुक्सा तथा राजी जो विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूह (पी.वी.टी.जी.) के रुप में भी जाना जाता है, के संरक्षण एवं विकास हेतु क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे है।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

- उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र प्राप्त करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जिसका मुख्य कारण स्थानीय अधिकारियों का असहयोगपूर्ण व्यवहार है जो एक चिंता का विषय है। आयोग अपेक्षा करता है कि उत्तर प्रदेश शासन इस संबंध में सभी संबंधित जिला अधिकारियों, तहसीलदारों एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को सहयोग करने का निर्देश जारी करे, जिससे सीधे–साधे अनुसूचित जनजाति के व्यक्यिों को जाति प्रमाणपत्र बिना किसी कठिनाई और समय पर मिल सके जिससे वह विकास योजनाओं का लाभ उठा सकें।

6. संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली ने जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य को विशेष केन्द्रीय सहायता एवं संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदान के रुप में जारी की गई राशि जो सारणी में दी गयी है के बारे में अवगत कराया तथा यह भी बताया की राज्य सरकार द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है जिसके कारण राशि जारी नहीं की जा रही है।

(रु लाख में)

योजना का नाम	वर्ष 2014–15	वर्ष 2015–16	वर्ष 2016–17	वर्ष 2017–18 (31.12.2017 तक)
विशेष केन्द्रीय सहायता	697.79	905.51	121.92	458.35
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदान	743.49	1514.74	1138.62	189.00

7. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार ने अवगत कराया कि सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रांप्त कर शीघ्र ही केन्द्र को भेज दिए जाएगें। इस संबंध में प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। उत्तर प्रदेश सरकार, राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वतन्त्र / अलग से विभाग बनाने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है। अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सभी संबंधित जिला अधिकारियों को समय समय पर दिशा निर्देश जारी

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

किये जाते रहे है और आयोग के निर्देशानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ मुख्य सचिव ने आयोग द्वारा भेजी गयी प्रश्नावली के उत्तर में राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी सूचना पर प्रकाश डालते हुए कहा कि, राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और करती रहेगी। प्रश्नावली मे दी गयी सूचना का सांराश निम्नवत है:

(क) जनसांख्यिकी

(1)जनसंख्या वितरण

	कुल जनसंख्या (लाख में)			अ.ज.जा. की जनसंख्या (लाख में)			कुल जनसंख्या में से अ.ज.जा. का प्रतिशत		
	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
ग्रामीण	1553.17	809.93	743.24	10.31	5.26	5.05	0.66	0.64	0.68
शहरी	444.96	234.88	210.08	1.03	0.55	0.48	0.23	0.23	0.23
कुल	1998.13	1044.81	953.32	11.34	5.81	5.53	0.56	0.56	0.58

(2)साक्षरता दर

	कुल जनसंख्या में साक्षर (प्रतिशत में)			अ.ज.जा. की जनसंख्या में साक्षर (प्रतिशत में)			गैर अ.ज.जा. में साक्षर (प्रतिशत में)		
	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
ग्रामीण	65.5	76.3	53.7	54.5	66.2	42.3	64.5	76.4	53.7
शहरी	75.1	80.4	69.2	67.0	74.8	58.0	75.2	80.5	69.2
कुल	67.7	77.3	57.2	55.7	67.1	43.7	68.7	77.3	54.5

(3)साक्षरता वृद्धि

	कुल जनसंख्या में साक्षर (प्रतिशत में)			अ.ज.जा. की जनसंख्या में साक्षर (प्रतिशत में)			गैर अ.ज.जा. में साक्षर (प्रतिशत में)		
	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
2001	56.27	68.82	42.22	35.13	48.44	20.70	56.29	68.84	42.24
2011	67.68	77.28	57.18	55.68	67.08	43.72	67.83	77.42	57.33
अन्तर–जनगणना परिवर्तन	11.42	8.46	14.96	20.55	18.63	23.02	11.54	08.58	15.09

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों तथा रोजगार मांगने वाले अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी।

(ख) अनुसूचित जनजातियों के वास्तविक दावों का सत्यापनः

उत्तर प्रदेश राज्य के शासनादेश संख्या 22/16/92–का–2/1996 टी.सी.3 दिनाँक 05.01.1996 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार रोजगार के क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के वास्तविक दावों के सत्यापन की कार्रवाई, राज्य स्तरीय स्क्रुटिनी समिति द्वारा की जाती है। शासनादेश संख्या 428/26–3–2011 दिनाँक 27.01.2011 के अंतर्गत जाति प्रमाणपत्र के मण्डल स्तर पर सत्यापन हेतु मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में अपीलीय फोरम गठित किए गए है तथा शासनादेश संख्या 685/26–3–2011 दिनाँक 28.02.2011 द्वारा जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन हेतु जनपद स्तर पर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में समितियों का गठन किया गया है। आरम्भिक प्रवेश, प्रमोशन तथा सेवा के दौरान जाति प्रमाणपत्र की शिकायत होने पर स्क्रुटिनी समिति द्वारा सत्यापन की कार्रवाई की जाती है। विगत 3 वर्षो में जनपद गोरखपुर में 3413, बस्ती में 36, आजमगढ़ में 14, महाराजगंज में 259, देवरिया में 302 तथा मऊ में 317 में असत्य अनुसूचित जनजातियों के प्रमाणपत्र, संबंधित जनपदीय स्क्रुटिनी समिति द्वारा निरस्त किए गए है।

प्रदेश के शासकीय सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं है।

शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु जाति प्रमाणपत्र की वैधता की जानकारी / सत्यता की सूचना ऑनलाइन उपलब्ध/की जाती है।

(ग) अनुसूचित जनजातियों का विकास–जनजाति उपयोजना / राज्य में अधिसूचित क्षेत्र और कोष की परिमाणन

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में संविधान के अनुच्छेद 342 (1) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में पाँच जातियां थारु, भोटियां, बुक्सा, जौनसारी तथा राजी को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया। वर्ष 2003 में अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 दिनाँक 07.01.2003 द्वारा दस अन्य जातियों को अनुसूचित

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

जनजाति की सूची में शामिल किया गया है। जनजातीय उप–योजना क्षेत्र राज्य के 19 जिलों में है। राज्य में संविधान की पाँचवी तथा छठी अनुसूची के अंतर्गत क्षेत्र घोषित नहीं है। जनपद–खीरी में आई.टी.डी.पी. तथा जनपद–बलरामपुर में माडा पॉकेट क्षेत्र घोषित है। इसके अलावा राज्य के 18 जिलों में अनुसूचित जनजातियों की बाहुल्यता है। जनपद बिजनौर में बुक्सा विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए परियोजना संचालित की जा रही है।

वर्ष 2012–13 से जनजाति उप–योजना को राज्य के वार्षिक योजना और पंचवर्षीय योजना के साथ बनाया जा रहा है। राज्य में कुल 78 विभाग है। 12वीं पंचवर्षीय योजना और वर्ष 2017–18 के दौरान 18 विभागों में जनजातीय उप–योजना निर्धारित की गयी है। कुछ विभागों में अनुसूचित जनजातियों के लिए बजट की व्यवस्था नहीं की जाती है। विगत तीन पंचवर्षीय योजना तथा वर्ष 2017–18 में आंबटित और व्यय किए गए जनजातीय उप–योजना का ब्यौरा निम्नवत है:

(रु करोड़ में)

योजना अवधि	कुल राज्य योजना आंवटन	जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत आंवटन	कुल आवंटन में से जनजातीय उपयोजना का प्रतिशत	जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत व्यय	जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत आंवटन में से व्यय का प्रतिशत
10वीं पंचवर्षीय योजना	59708.00	113.94	0.19	41.68	36.58
11वीं पंचवर्षीय योजना	181094.00	141.00	0.08	94.19	66.80
12वीं पंचवर्षीय योजना					
2012–13	57800.00	38.00	0.07	30.75	80.92
2013–14	69200.00	41.50	0.06	19.07	44.95
2014–15	113500.00	104.29	0.09	46.65	44.73
2015–16	120000.00	256.44	0.21	206.41	80.49
2016–17	136667.41	259.91	0.19	221.57	85.25
2017–18 (अन्नतिम व्यय)	426453.81	577.77	0.14	353.44	61.14

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

विशेष केन्द्रीय सहायता तथा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान राशि के रुप में प्राप्त राशि तथा व्यय की सूचना उपलब्ध नहीं है, उल्लिखित किया गया। अनुसूचित जनजातियों को विकास के कार्यक्रमों की सूचना प्रसारित की जाती है (पम्पलेट, समाचार पत्र, बुकलेट तथा होर्डिंग के द्वारा)।

(घ) दिशा

दिशा कार्यक्रम जुलाई 2016 में शुभारंभ किया गया जोकि केन्द्रीय, राज्य एवं स्थानीय सरकारों को रुप रेखा के भीतर सौपें गये दायित्वों का संवैधानिक विकास, समन्वय और मॉनीटर को सुधारने का प्रयास है।

इसके अंतर्गत 41 कार्यक्रम शामिल किए गये है। राज्य के सभी 65 जिलों में मॉनिटरिंग समितियां गठित की गयी है जिनका विवरण उपलब्ध कराया गया है।

ग्रामीण विकास के अंतर्गत चलाये जा रहे 12 कार्यक्रमों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं करायी। शहरी विकास के अंतर्गत 13 कार्यक्रमों में से मात्र प्रधानमंत्री अटल आवास योजना के बारे में सूचना उपलब्ध करायी गयी।

स्मार्ट सिटीस, कायाकल्प शहरी रुपांतरण के लिए अटल मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय धरोहर शहरी विकास एवं कायाकल्प योजना के बारे में सूचना अप्राप्त, उल्लिखित किया गया है।

(ड) <u>शिक्षा</u>

राज्य के अन्य हिस्सों की तुलना में आई.टी.डी.पी. तथा माडा स्थानों में स्थित स्कूलों में अध्यापक–शिष्य अनुपात एवं अध्यापकों के रिक्त प्रतिशतता तथा विद्यालय छोड़ने की दर के तुलनात्मक विवरण में राज्य के विद्यालयों के आँकड़े अनुपलब्ध, उल्लिखित किया गया है।

व्यवसायिक संस्थानों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों का ब्यौरा अनुपलब्ध बताया गया। अनुसूचित जाति के कक्षा 9 व 10 के छात्र, छात्राओं हेतु पूर्व दशम छात्रवृति योजना तथा स्नातक व स्नातकोत्तर स्तरों हेतु छात्रवृति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

संचालित है जिंसमें अभिभावकों की वार्षिक रु 2.5 लाख है। अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु दो छात्रावास 50–50 की क्षमता के संचालित है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित 250 छात्रावासों में भी अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रवेश की व्यवस्था है। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में अनुसूचित जनजाति की 100 छात्राओं की क्षमता का छात्रावास निर्माणाधीन है जो वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्वीकृत किया गया है।

(च) स्वास्थ्य एवं पोषण

अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों/आवास स्थानों में चिकित्सा सुविधाएं और चिकित्सा औषधालयों में प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध है। अनुसूचित जनजाति में शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर का डाटा उपलब्ध नहीं है।

(छ) आवासन

अनुसूचित जनजातीयों को मकान/मकानों के लिए स्थल आवंटन तथा इंदरा आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2013–14 में कुल 301343 में से 5764, वर्ष 2014–15 में कुल 40874 में से 5353, वर्ष 2015–16 में कुल 358551 में से 6978, वर्ष 2016–17 में कुल 572975 में से 6883 तथा वर्ष 2017–18 में कुल 312493 में से 4047 अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी थे।

(ज) भूमि से संबंधित प्रकरणों पर सूचना अप्राप्त, दर्शायी गयी।

(झ) वनग्रामों का विकास और वनाधिकार

राज्य में कुल 12 वनग्राम है जिनमें जनजातियों की संख्या का विवरण उपलब्ध नहीं है दर्शाया गया। 12 में से 7 वनग्राम राजस्व ग्राम घोषित किए जा चुके है। वनाधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातीय लोगों के बंदोबस्त का विवरण निम्नवत है।

(अक्टूबर 2018 तक)

मान्य अधिकारों का प्रकार	प्राप्त	अनुमोदित	वितरित	अस्वीकृत	लंबित
व्यक्तिगत वनाधिकार	92520	17791	17791	74682	47
सामुदायिक अधिकार	1124	843	843	281	00
सामुदायिक वनस्रोत	—	—	—	—	—
योग	93644	18634	18634	74963	47

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार जिला स्तर व राज्य स्तर पर गठित समितियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर अस्वीकृत दावों की समीक्षा की जाती है। राज्य स्तर पर अब तक राज्य स्तरीय निगरानी समिति की 13 बैठकें आयोजित की जा चुकी है।

अनुसूचित जनजातियों द्वारा संग्रहीत वन उत्पाद, कृषि एवं उत्पादों के विपणन को विनियमित करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) और लघु वन उपज (एम.एफ.पी.) मूल्य श्रृंखला के विकास द्वारा लघु वन उपज के विपणन तंत्र हेतु राज्य एवं जनपद स्तर पर समिति गठन किए जाने का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु मुख्य सचिव के पास लंबित है।

जनजाति विकास विभाग द्वारा अनुसूचित ज़नजतियों के युवक युवतियों के कौशल वृद्धि हेतु कम्प्यूटर प्रशिक्षण, सिलाई–कढ़ाई, काष्ठ कला, सुरक्षा सेवा, मोबाईल हार्डवेयर रिपेयरिंग तथा मोटर रिपेयरिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं।

(ञ) अत्याचार

अनुसचित जनजातियों पर हुए अत्याचारों के मामलें में पुलिस द्वारा किए गए निपटान का विवरण निम्नवत है।

वर्ष	आगे लाए गए मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान दर्ज किए गए मामलों की संख्या	कुल मामलों की संख्या	चालान/न्यायालय भेजे गए मामलों की संख्या	जाँच के बाद बंद किए गए मामलों की संख्या	जाँच के लिए लंबित मामलों की संख्या	टिप्पणियाँ
2013	05	90	95	77	13	05	—
2014	05	71	76	56	15	05	—
2015	05	87	92	73	10	09	—
2016	09	115	124	91	21	12	—
2017	12	143	155	121	15	19	—
2018 (01.01. 2018 से 31.10. 2018)	19	132	151	96	23	32	

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

न्यायालय द्वारा अनुसूचित जनजातियों पर हुए अत्याचार के मामलों का निपटान का विवरण निम्नवत है।

वर्ष	मामलों की संख्या			निर्णित एवं समाप्त मामलों की संख्या			विचारण के लिए लंबित मामलों की संख्या
	आगे लाये गये	प्राप्त	कुल	दोषसिद्धि	निर्मुक्ति	कुल	
2013	160	67	227	19	13	32	208
2014	208	56	264	11	08	19	253
2015	253	62	315	07	04	11	308
2016	308	83	391	11	07	18	380
2017	380	106	486	07	05	12	479
2018 (01.01. 2018 से 31.10. 2018)	479	80	559	08	06	14	551

अपर पुलिस महानिदेशक (वर्तमान में पुलिस महानिदेशक) के नियंत्रण में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति उत्पीड़न संबंधि मामलों हेतु विशेष जाँच मुख्यालय में कार्यरत है। प्रत्येक जनपद में विशेष जाँच प्रकोष्ठ कार्यरत है इन प्रकोष्ठों के कार्यों का पर्यवेक्षण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में उपलब्ध अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक में से एक को विशेषरूप से नामित किया जाता है। प्रदेश के जनपदों में अत्याचार प्रोन एरिया घोषित नहीं है। अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अंतर्गत प्रदेश के 40 जनपदों में विशेष न्यायालयों की स्थापना की गयी है तथा शेष 35 जनपदों में डेसिग्नेटेड कोर्ट कार्यरत है। वादों के अभियोजन हेतु अभियोजन संवंर्ग के अभियोजकों को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है। वर्ष 2013 से 2017 तक अनुसूचित जनजाति के पीड़ितों को उपलब्ध करायी गयी धनराशि का विवरण निम्नवत है।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

वर्ष	लाभार्थी संख्या	धनराशि (लाख रु में)
2013–14	18	12.45
2014–15	18	12.45
2015–16	19	24.30
2016–17	17	13.21
2017–18	18	10.23

(ट) सेवा सुरक्षण

शासनादेश के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को सीधी भर्ती में आयु सीमा में पाँच वर्ष की रियायत दी जा रही है। पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं है। असत्य अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र के आधार पर राज्य सरकार में रोजगार प्राप्त करने के संदर्भ में सूचना उपलब्ध नहीं है ऐसा दर्शाया गया। राज्य में अनुसूचित जनजातियों के जाति प्रमाण पत्र जारी / सत्यापन हेतु जिला स्तर, मण्डल स्तर तथा राज्य स्तर पर स्क्रुटिनी समितियों का गठन किया गया है।

कार्मिक विभाग के शासनादेश 25.03.1994 के अनुसार संबंधित श्रेणी में रिक्ति में भरने हेतु तीन बार विशेष अभियान चलाया जाता है यदि तीसरी भर्ती में उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्ति को अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों द्वारा भरी जाएगी। पिछले पाँच वर्षों में प्रस्तावित रिक्तियों का अनारक्षण का क्वांटम और अनारक्षण के लिए सहमति प्राप्त रिक्तियों की संख्या क्या रही तथा अनारक्षण के सर्वाधिक समान्य आधार क्या रहे थे के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है, दर्शाया गया है। अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के शिकायतों का विभागाध्यक्ष/शासन स्तर पर नियमानुसार निवारण किया जाता है। राज्य सेवाओं में 02.07. 1997, 01.01.2014 और 01.01.2018 में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के संबंध में सूचना, संकलित की जा रही है, ऐसा उल्लिखित किया गया है। अनुसूचित जनजातियों हेतु शासकीय सेवाओं में दो प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है परन्तु शासनादेश उपलब्ध नहीं कराया गया।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(ठ) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन.एफ.एस.ए)

राज्य के 75 जिलों में एन.एफ.एस.ए के अंतर्गत कुल 35428902 कार्ड जारी किये गये है जिनमे अनुसूचित जनजातियों के 560678 कार्ड है जो 1.58 प्रतिशत है।

अन्त्योदय कार्ड की पात्रता हेतु आर्थिक स्तर के मापदंड निर्धारित है न कि जाति या वर्ग के आधार पर। अन्त्योदय राशन कार्ड गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (गरीबों में गरीब अवधारणा के तहत) परिवारों हेतु जिसके मुख्य मापदंड शासनादेश दिनाँक 31.10. 2001 के अनुसार है – (क) अपनी जमीन न हो (ख) पक्का मकान न हो (ग) भैंस/बैल/ट्रैक्टर ट्रॉली न हो (घ) कोई निश्चित व्यवसाय न हो (ड़) मुर्गी पालन/गो पालन आदि न हो (च) शासन द्वारा कोई वित्तीय सहायता का व्यवसाय न हो और सहायता न प्राप्त हो रही हो (छ) विद्युत कनेक्शन न हो।

(ड) पेसा (PESA) राज्य में लागू नहीं है

जनजातीय अनुसूचित क्षेत्रों में पी.एच.सी.एस./एस.एच.सी.एस/जिला अस्पताल की सूचना अप्राप्त है, ऐसा दर्शाया गया है।

राज्य में बुक्सा समुदाय को विशेषरूप से कमजोर जनजातीय समूह (पी.वी.टी.जी.) घोषित किया गया है जिसकी जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 3058 है तथा जनपद बिजनौर में निवासरत है। इनके शैक्षिक विकास हेतु जनपद बिजनौर में कक्षा 6 से 12 तक राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित है तथा इनके आर्थिक विकास के लिए आदिम जनजाति विकास परियोजना संचालित है।

राज्य में जनजाति सलाहकार परिषद्, अनुसूचित जनजाति सहकारी विकास निगम तथा अनुसूचित जनजाति हस्तशिल्प विकास निगम गठित/स्थापित नहीं है। राज्य में टी.आर.आई संचालित है।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

8. माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने, अनुसूचित जनजातियों के असत्य जाति प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे है उनको तुरंत रोका जाना चाहिए। राज्य को जारी की गयी विशेष केन्द्रीय सहायता एवं संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत जारी अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र केन्द्र को अविलंब उपलब्ध करायी जाये जिससे केन्द्र अग्रिम राशि जारी कर सकें।

9. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने आयोग को आश्वासन दिया कि इस पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया जाएगा। राज्य में लखीमपुर–खीरी जनपद में एकलव्य मॉडल स्कूल संचालित किया जा रहा है तथा सोनभद्र एवं ललितपुर जनपदों में शीघ्र ही शुरू किया जायेगा। सोनभद्र स्कूल की इमारत के विरूद्ध मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

10. माननीय उपाध्यक्ष महोदया, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने नवसृजित जिलों, संत कबीरनगर, संत रविदासनगर, कुशीनगर तथा चंदौली में गोंड समुदाय के लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी न करने के बारे में चिंता प्रकट की तथा उस पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु सुझाव दिया। राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या हेतु सर्वेक्षण कराने का सुझाव भी दिया क्योंकि राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या जनगणना से कही अधिक है ऐसा प्रतीत होता है। माननीय सदस्य श्री एच.सी.वसावा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अनसूचित जनजाति क्षेत्रों में स्थानीय अनुसूचित जनजाति के लोगों को शिक्षण हेतु नियुक्त करने का सुझाव दिया। संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का विवरण प्रत्येक योजना के लिए अलग–अलग तैयार किया जाये।

11. बैठक का समापन, श्री रमापति शास्त्री माननीय समाज कल्याण एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के धन्यवाद भाषण से हुआ।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

12. राज्य के माननीय मुख्यमंत्री तथा माननीय राज्यपाल जी आकस्मिक कार्यों में व्यस्त होने के कारण तथा प्रदेश से बाहर होने के कारण, आयोग द्वारा दोनों माननीयों से भेंट नहीं हो पायी।

13. समीक्षा बैठक के उपरांत, आयोग ने राज्य के अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों से अनौपचारिक बैठक की। बैठक में राज्य के अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों ने आयोग का ध्यान विशेषकर, राज्य में अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में हो रही कठिनाईयों तथा राज्य में अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अपनाये गये प्रपत्र की ओर आकर्षित किया। यह बताया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य में राज्य सरकार की नौकरियों के लिए अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र का एक अलग प्रपत्र है और केन्द्र सरकार की नौकरियों तथा शिक्षण संस्थाओं के लिए अलग प्रपत्र है।

14. <u>आयोग का अवलोकन</u>

आयोग ने यह अवलोकन किया कि राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों के अत्याचार निवारण के प्रति सक्रियता के साथ कार्य कर रही है। इसके अलावा अनुसूचित जनजातियों के असत्य जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन तथा निर्गत करने के लिए जिला स्तर, मण्डल स्तर एवं राज्य स्तर पर समितियां बना रखी है यह भी एक सराहनीय कदम है।

राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना में मुख्य कार्यक्रमों तथा योजनाओं के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है/उपलब्ध नहीं है, दर्शाया गया है जो निराशाजनक है। क्योंकि, आयोग ने बैठक से दो तीन मास पूर्व प्रश्नावली राज्य सरकार को भेज दी थी। यह कार्य राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग विभाग न होने का भी संदेश देता है। राज्य में कार्यरत जनजातीय विकास विभाग को समर्थ बनाना तथा उसके लिए समुचित स्थान उपलब्ध कराने की आवश्यकता प्रतीत होती है।

15. <u>आयोग की अनुशंसाएं</u>

समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, विशेष सचिव स्वास्थ्य, आयुक्त लखनऊ मण्डल तथा राज्य के

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों तथा जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ एवं राज्य के अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधियों के विचार–विमर्श के बाद, आयोग की अनुशंसाएं निम्नवत है।

(क) केन्द्र सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत जारी की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, केन्द्र सरकार को समय पर उपलब्ध कराया जाए जिससे केन्द्र समय से अगले वित्त वर्ष हेतु राशि जारी कर सकें।

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत जारी अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, केन्द्र सरकार को समय पर उपलब्ध कराया जाए जिससे केन्द्र समय से अगले वित्त वर्ष हेतु राशि जारी कर सकें।

(ग) जनजातीय उप–योजना में राज्य सरकार द्वारा आंवटित राशि राज्य में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत के हिसाब से होनी चाहिए जैसा की राज्य सरकार ने नहीं किया है। अतः अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से जनजातीय उप–योजना के अंतर्गत योजनाओं हेतु धनराशि आंवटित की जाये।

(घ) राज्य में अनुसूचित जनजातियों के विकास एवं कल्याण के लिए एक स्वतन्त्र/अलग विभाग की स्थापना की जाए। जब तक राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग विभाग की स्थापना नहीं हो जाती तब तक वर्तमान में कार्यरत जनजातीय विकास विभाग को मजबूत बनाया जाये तथा उसके लिए समुचित स्थान उपलब्ध कराया जाये।

(ड़) सोनभद्र में एकलव्य मॉडल स्कूल को चालू करने के लिए न्यायालय में अर्जी दी जाये।

(च़) अनुसूचित जनजातियों के जाति प्रमाण पत्र जारी करने /सत्यापन कार्य से संबंधित सभी जिला स्तरीय अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाये, जिससे भोले भाले अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को कठिनाईयों का सामना न करना पड़े।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(छ) अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने / सत्यापन कार्य से संबंधित तहसीलदार, लेखपाल एवं अन्य अधिकारी के विरूद्ध यदि तीन बार से अधिक शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर जिला अधिकारी द्वारा जाँच की जाये यदि दोषी पाया जाये तो उसका स्थानांतरण तुरंत कर दिया जाये।

(ज) हाल ही में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण लागू करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए है। राज्य सरकार को अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के पदोन्नति के लिए उसका अनुसरण करना चाहिए।

(झ) राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजातियों की सूची भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत जारी की जाती है। अतः अनुसूचित जनजातियों के 'जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप' केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत प्रपत्र को अपनाया जाये, जिससे अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को राज्य एवं केन्द्र की नौकरियों हेतु अलग अलग प्रपत्र उपलब्ध न कराने पड़े।

(ञ) राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही/चलायी जाने वाली योजनाओं/कार्यक्रमों में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की सूची अलग–अलग बनायी जाये।

(ट) राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग से आयोग की स्थापना की जाये।

(ठ) राज्य में अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु अनुसूचित जनजाति सहकारी विकास निगम तथा हस्तशिल्प विकास निगम जैसी संस्थाओं की स्थापना करनी चाहिए।

(ड) राज्य सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व के संबंध में सूचना, सामान्य प्रशासन विभाग/कार्मिक विभाग में सहज उपलब्ध होनी चाहिए।

(ढ) अनुसूचित जनजातियों के भूमि हस्तांतरण से संबंधित राज्य सरकार ने क्या नियम बनाये है / बनाये जाने है उसकी सूचना उपलब्ध करायी जाये।

22.01.019

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

F. No. Tour Report/12/VC(UP)/2018/RU I

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राज्य के अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न सुरक्षणों एवं कार्यक्रमों के कामकाज की समीक्षा हेतु दिनाँक 29.11.2018 समय 11 बजे लखनऊ में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा आयोजित बैठक।

प्रतिभागियों की सूची

क्रम संख्या	नाम और पद
I	**राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**
1.	श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष (अध्यक्षता में)
2.	सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष
3.	श्री एच. के. डामोर, माननीय सदस्य
4.	श्री हर्षदभाई चुनीलाल वसावा, माननीय सदस्य
5.	श्री शिशिर कुमार रथ, संयुक्त सचिव
6.	डॉ0 ललित लट्टा, निदेशक
7.	श्री राजेश्वर कुमार, सहायक निदेशक
8.	श्री आर. एस. मिश्र, वरिष्ठ अन्वेषक
II	**जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली**
	श्री विनोद कुमार तिवारी, संयुक्त सचिव
III	उत्तर प्रदेश राज्य सरकार
1.	श्री अनूपचन्द्र पाण्डेय, मुख्य सचिव
2.	श्री मनोज सिंह, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग
3.	श्री नर्वेद सिंह, विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग

4. श्री अनिल गर्ग, आयुक्त, लखनऊ मण्डल

5. डॉ0 मंजू मलिक, निदेशक, स्वास्थ्य विभाग

6. श्री चन्द्रकान्त कपूर, अपर निदेशक, परिवार कल्याण विभाग

7. श्री हरिराम, उप–सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग

8. श्री आर. के. सिंह, संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण विभाग

9 श्री विनोद कुमार सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी, महारागंज

10. श्री विनोद कुमार यादव, जिला समाज कल्याण अधिकारी, मऊ

11. श्री दीनानाथ शुक्ल, जिला समाज कल्याण अधिकारी, देवरिया

12. श्री टी. के. सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी, कुशीनगर

13. श्री मनोज कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी, बिजनौर

14. श्री अभय कुमार मिश्र, एस.डी.एम. नौगढ़ (चंदौली)

15. श्री आर. के. सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी, चंदौली

16. श्री तिलकधारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, बलिया

17. श्रीमती मीनाक्षी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर

18. श्री घनश्याम, जिला समाज कल्याण अधिकारी,

19. श्री एस.के भट्ट, अतिरिक्त स्टेटिस्टिक अधिकारी।

20. श्री अब्दुल वाहिद, अपर सांख्यिकी अधिकारी।

21. श्री विपिन कुमार यादव, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जौनपुर

22. डॉ देवेंद्र सिंह, अनुसंधान अधिकारी, टीआरआई,